भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
(प्रकरण कमांक FP/MP/WATER/145025/2021)

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां / नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।		जी नही।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।		सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।		महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत सिंगरौली जिले के वनमण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र बरगवां ,जियावन मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पाईप लाईन डालने का कार्य किया जाना है। पाइप लाइन विस्तार मे वनमंडल सिंगरौली की निम्नानुसार भूमि प्रभावित हो रही है।

जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में
सिंगरौली	सिंगरौली	बरगवां	PF 224	0.1380
			PF 216	0.0496
			RF 227	0.0566
			RF 225	0.1435
			PF 215	0.0453
			RF 232	0.1115
			RF 233	0.0660
			RF 235	0.1008
			RF 236	0.0636
			PF 201	0.0805
			PF 202	0.0317
			PF 116	0.0545
			RF 247	0.06633

		जियावन	RF 757, 758, 759	0.518
			PF 777	0.171
			PF 824	0.075
			PF 825	0.053
			PF 745	0.210
			PF 746	0.265
			PF 747	0.215
			PF 778	0.115
			PF 741	0.191
			PF 739	0.100
			PF 734	0.037
			PF 743	0.092
			PF 782	0.102
		योग–		**3.15193**

वनमण्डल की प्रचलित कार्यआयोजना अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि मे से कक्ष क्रमांक पी.एफ.–224, 216, 215, 824, 782, 778 एवं आर.एफ.–233, 235, 236, 247 हाथी कारीडोर मे सम्मिलित है।

वनमण्डल की कार्यआयोजना मे हाथी कारीडोर के संबंध मे निम्नानुसार प्रावधान है।

(अ) 2.47 (9) कारीडोर मे किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरंतरता मे व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी, भवन निर्माण , डिपो की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।

(ब) 2.47 (10) कारीडोर मे स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किये जाये । यदि एसा करनो अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम हाथी कारीडोर की स्थापना की जाये।

कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1–18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 3.15193 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

वनमंडलाधिकारी वनमण्डल संगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पेय जल पाइप लाइन विस्तार हेतु 3.15193 हेक्टेयर वन भूमि महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 15.09.2022
स्थानः रीवा

15.9.2022

(आनन्द कुमार सिंह भा.व.से. 2001)
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)